

## राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: विज्ञापन सं.03/परीक्षा/Protection Officer/EP-I/2017-18

दिनांक :27.03.2018

आयोग द्वारा महिला अधिकारिताविभाग के लिए राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017के अन्तर्गत संरक्षण अधिकारी(Protection Officer)के पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई है, विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है)की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

No. of Post(s)	U.R.				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				P.H. (Horizontal)		
	सामान्य	साम.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	साम.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	साम.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	साम.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	साम.	विधवा	परित्यक्ता	B/LV	HI	LD/CP
20	8	3	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0

नवीनतम जानकारी हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेब-साईट <http://www.rpsc.rajasthan.gov.in> का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।

## अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं :-

(i) Law Graduate (LLB)/Masters in Social Works (MSW) from a University established by law in India.

(ii) Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthan Culture.

आयु सीमा-दिनांक 01.01.2019 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम।

वेतनमान : Pay Matrix Level (L-11)

## आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग	अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं सामान्य वर्ग की महिला	5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिला	10
3.	विधवा एवं विच्छिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला	अधिकतम आयु सीमा नहीं
4.	निःशक्तजन	सामान्य
		पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

## अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

1	भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
2	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
3	कैडेट इन्स्ट्रक्टर के मामले जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा। में उतने ही काल की छूट होगी
4	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
5	राजस्थान राज्य के कारोबार, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
6	रिलीज्ड इमर्जेंसी कमीशण्ड ऑफिसर्स एवं शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे तो सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझे जावेंगे।
7	सन् 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
8	रिजर्विस्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

## नोट-

- उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 एवं पत्र दिनांक 14.09.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/BC/MBC) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे - आयु सीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जाएगा।
- उक्त पद प्रथम बार विज्ञापित किये जा रहे हैं। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23-09-2008 के अनुसार उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में कोई अतिरिक्त छूट देय नहीं होगी।

## अन्य विवरण

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा।
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। प्रतियोगी परीक्षा अजमेर एवं जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है। आयोग अपने स्वविवेक से परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन भी कर सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा यथासमय कर दी जाएगी।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Online/Offline) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
आवेदन अवधि	दिनांक 05-04-2018 से दिनांक 19-04-2018 रात्रि 12-00 बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	1. अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाईट <a href="https://rpsc.rajasthan.gov.in/applyonline">https://rpsc.rajasthan.gov.in/applyonline</a> से एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल पर लॉगिन कर State Recruitment Portal सर्विस का चयन करना होगा। 2. State Recruitment Portal पर आधार आधारित One Time Registration (OTR) कर अभ्यर्थी परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है। 3. अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरकर State Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से भुगतान कर आवेदन क्रमांक जनरेट करना होगा। 4. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग न करें। 5. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा। 6. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके।
आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन	ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन दिनांक 20-04-2018 से दिनांक 26-04-2018 रात्रि 12-00 बजे तक।

## विशेष नोट :-

- अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS के माध्यम से चाहता है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर बदलने/बन्द/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने के लिए अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- आयोग द्वारा अभ्यर्थी से किसी भी प्रकार का ऑफलाइन/लिखित संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा एवं उक्त 7 दिवस की ऑनलाइन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

**SCHEME AND SYLLABUS FOR APPOINTMENT TO THE POST OF PROTECTION OFFICER THROUGH WRITTEN EXAMINATION**

1. There will be two papers. Both the papers shall be of 300 marks each. Duration of both papers shall be 3 hours each.
2. A candidate must take the compulsory examination and any one of the optional papers below :  
(a) Social work (b) Law
3. Minimum passing marks shall be 40% in each paper.  
{Paper – I – Compulsory(General Studies), Paper – II – Optional (Social Work/Law)}

**विशेष सूचना :-**“यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online संशोधन कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।”

**अन्य बिन्दु व सूचना :-** परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय-समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.- 0145-2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(गिरिराज सिंह कुशवाहा)  
सचिव